मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 28.07.2025

नकली कावड़िया बनकर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 03 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का आभूषण, मोबाइल फोन व नगदी बरामद—

थाना मड़िहान, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 27.07.2025 को वादी मोहित कुमार पुत्र सदाफल सोनकर निवासी रामपुर ढवही खोड़िया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा अपने साथियों के साथ कावड़ यात्रा में गंगाजल लेकर शिवद्वार मंदिर घोरवाल जा रहे थे, कलवारी बाजार में काफी थके होने के कारण गहरी नीद में सोये थे इस दौरान अज्ञात चोरों द्वारा वादी का मोबाइल फोन चोरी किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-237/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के सफल अवारण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी के सामानों की बरामदगी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मड़िहान को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के क्रम में थाना मड़िहान पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना में सुरागरसी-पतारसी एवं इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांकः28.07.2025 को त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मड़िहान क्षेत्रांतर्गत कलवारी बाजार के पास से 03 नफर अभियुक्तों 1. सरफराज पुत्र लाल मोहम्मद निवासी औरही थाना घोरवल जनपद सोनभद्र, 2. सुभाष पुत्र रामनाथ निवासी जुड़ी थाना घोरावल जनपद सोनभद्र व 3. राजेश कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी पटवध धरिकार बस्ती थाना चोपन जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो के पास से 08 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन, 01 अदद लाकेट (पीली धातू), 3200 रूपये नगद, हैण्ड लेडी पर्स तथा घटना कारित करने हेतु प्रयुक्त किया गया आटो वाहन संख्या UP 64 CT 1809 बरामद किया गया । थाना मड़िहान में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा घटना में प्रयुक्त आटो वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगो द्वारा नकली कावड़िया बनकर कावड़ यात्रा में शामिल हो जाते थे तथा कावड़ियों से जान पहचान कर उनके यात्रा करते थे । रात्रि में कावड़ियों के सोते समय मौका देखकर उनके मोबाइल फोन, पैसे व आभूषण आदि चोरी कर लिया जाता था । चोरी के सामानो को बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बाट लेते थे ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. सरफराज पुत्र लाल मोहम्मद निवासी औरही थाना घोरवल जनपद सोनभद्र।
2. सुभाष पुत्र रामनाथ निवासी जुड़ी थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
3. राजेश कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार निवासी पटवध धरिकार बस्ती थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

पजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-237/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास (राजेश कुमार)-

मु0अ0सं0-252/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0-56/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0-57/2019 धारा 4/25 आयुध अधि. थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0-106/2021 धारा 10 गुण्डा एक्ट थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0-145/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

विवरण बरामदगी—

08 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन, 01 अदद लाकेट (पीली धातू), 3200 रूपये नगद व हैण्ड लेडी पर्स।
घटना में प्रयुक्त 01 आटो वाहन संख्या- UP 64 CT 1809

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक—

ग्राम कलवारी चौराहा के पास से, दिनांकः 27/28.07.2025 की रात्रि में।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

प्रभारी निरीक्षक बालमुकुन्द मिश्रा मय पुलिस टीम थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
उप निरीक्षक श्याम बदन यादव व उप निरीक्षक रामलाल सिंह यादव मय पुलिस टीम।

****